

प्रेषक,

महानिदेशक
परिवार कल्याण
महानिदेशालय परिवार कल्याण, उ०प्र०
लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
आगरा, फिरोजाबाद, मैमपुरी, मथुरा, हाथरस, एटा, कासगंज, इलाहाबाद, कौशांबी, फतेहपुर, मऊ,
बलिया, बरेली, बदायूं, धौलीभीत, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, सन्त कबीर नगर, श्रावस्ती,
गोण्डा, बलरामपुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, सी०एस०एम०नगर, सोनभद्र, भदोही, चित्रकूट
हमीरपुर, महोबा, जालौन, ललितपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, लखनऊ,
हरदोई, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, बिजनौर, जे०पी०नगर, रामपुर, सम्भल, मेरठ, गाजियाबाद,
जी०बी०नगर, बागपत, हापड़, मुजफ्फरनगर, शामली, गाजीपुर, जौनपुर एवं चन्दौली

पत्र संख्या: प०क०/०८-प्रशि०/आशा फैसिलि०/२०१३-१४/५५६५-५४

दिनांक: 18.09.2013

विषय: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जनपदों में आशा संगिनी के चयन प्रक्रिया सम्बन्धी दिशा-निर्देश।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक लगभग 1000 की ग्रामीण जनसंख्या पर कार्यरत आशाओं के नियमित सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु भारत सरकार के स्तर से आशा संगिनी चयन किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसके अन्तर्गत प्रत्येक 20 आशाओं पर एक आशा संगिनी नियुक्त किया जाना है जो अपने क्षेत्रों में पहले से ही कार्यरत सक्रिय एवं अनुभवी आशाओं में से होगी। आशा संगिनी का भुगतान कार्य के अनुरूप प्रतिपूर्ति राशि के आधार पर किया जायेगा। यह राशि रू० 150 प्रतिदिन की दर से अधिकतम 20 विजिट हेतु रू० 3000 प्रतिमाह देय होगी। यह धनराशि के रूप में अपने क्षेत्र में किये कार्य के अतिरिक्त देय होगी। प्रथम बार आशा संगिनी का कार्यकाल मार्च 2014 तक रखा जायेगा। तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष उनके द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करते हुए उनके सहमति के आधार पर कार्यकाल को विस्तारित किया जा सकता है।

आशा संगिनी के उत्तरदायित्व-

आशा संगिनी का उत्तरदायित्व आशा की दिन-प्रतिदिन के कार्यों में सहायता करना, उसकी क्षमतावृद्धि करना, उसके द्वारा किये जा रहे कार्यों का अनुश्रवण एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना होगा। वह आशाओं की मार्गदर्शिका, प्रेरक व परामर्शदाता होगी। सामान्य मानकों के अनुसार एक आशा संगिनी 20 आशाओं पर नियुक्त की जायेगी और इस प्रकार लगभग 20000 से 25000 की जनसंख्या पर कार्य करेगी। इनके बेहतर उपयोग हेतु इन्हें ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों तथा अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य प्रक्रियाओं को समर्थन एवं सहयोग प्रदान करने हेतु चयनित किया जायेगा।

आशा संगिनी के चयन हेतु अर्हताएँ-

- आशा के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो तथा स्वेच्छा से आशा संगिनी बनने की इच्छुक हो।
- अपने क्लस्टर/कार्यक्षेत्र की निवासिनी तथा सक्रिय एवं अनुभवी आशा होनी चाहिये।
- आशा डाटाबेस में उसकी ब्योरा अंकित होना चाहिये।
- पूर्व में आशा मॉड्यूल 1 से 5 (7+12+4=23 दिन) तक का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो एवं सी०सी०एस०पी० प्रशिक्षित की वरीयता दी जायेगी।

चयन की प्रक्रिया-

- प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से 2 से 4 उपकेन्द्र क्षेत्र जिसमें सामान्यतया 20 आशाएँ कार्यरत होंगी का एक क्लस्टर तैयार किया जायेगा तथा जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबंधक द्वारा क्लस्टर निर्धारण हेतु सहयोग एवं पर्यवेक्षण किया जायेगा।
- यदि 2-4 उपकेन्द्रों से कुल आशाओं की संख्या 18 से 22 हो रही हो तो ऐसी स्थिति होने की दशा में एक आशा संगिनी का चयन किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में एक उपकेन्द्र क्षेत्र की सभी आशाएँ एक ही क्लस्टर में कार्य करेंगी।
- प्रत्येक क्लस्टर से इच्छुक आशाओं से आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन प्रक्रिया हेतु स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अधिकतम 15 दिनों का समय देना उचित होगा।
- आशा संगिनी की नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया की सूचना समस्त आशाओं को ब्लाक स्तरीय आशा मासिक बैठक में दी जायेगी तथा ब्लाक सी0एच0सी0/पी0एच0सी0/उपकेन्द्र के सूचना पट्ट पर चस्पा किया जायेगा। सभी आशाओं को आशा संगिनी के दायित्वों तथा चयन हेतु आवेदन करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया से अवगत कराया जायेगा।
- ब्लाक की समस्त इच्छुक आशाओं का आवेदन पत्र सम्बन्धित ए0एन0एम0 एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक द्वारा क्लस्टरवार निर्धारित अंक मुल्यांकन प्रपत्र भर कर संकलित किया जायेगा। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा ब्लाक स्तरीय अभिलेखों एवं क्षेत्र में सत्यापन के आधार पर उपलब्धियों को सत्यापित किया जायेगा। इस प्रकार निर्धारित अंक पत्र पर अभ्यर्थियों की क्लस्टरवार वरीयता सूची तैयार की जायेगी।
- तैयार की गई क्लस्टरवार वरीयता सूची प्रभारी चिकित्साधिकारी व स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर मुख्य चिकित्साधिकारी व जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को चयन प्रक्रिया आरम्भ करने से पूर्व भेजा जाना सुनिश्चित करेंगे। इस सूची की एक प्रति ई-मेल के माध्यम से राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-लखनऊ को भी भेजा जाना होगा।
- क्लस्टरवार वरीयता सूची से सर्वश्रेष्ठ 4 आशाओं को चिन्हित कर व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु एक नियत तिथि व स्थान पर बुलाया जायेगा व इसकी सूचना अनिवार्य रूप से नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी तथा आशा मासिक बैठकों में भी प्रचारित किया जायेगा। व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु अधिकतम अंक 5 होंगे।
- व्यक्तिगत साक्षात्कार के पश्चात चयन की गई आशा संगिनी की पूर्ण सूची आगामी जिला स्वास्थ्य सोसाइटी से अनुमोदित कराया जाना आवश्यक होगा जिसके पश्चात सूची को राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-लखनऊ को भी भेजा जाना होगा। चयन की सूचना अनिवार्य रूप से नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाय।
- चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखी जाय।

साक्षात्कार हेतु चयन समिति-

1. अपर मुख्य चिकित्साधिकारी(RCH) अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि
 2. जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबंधक अथवा जिला कार्यक्रम प्रबंधक
 3. ब्लॉक प्रभारी चिकित्साधिकारी
 4. ब्लॉक आशा नोडल अधिकारी (ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक/ब्लॉक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी)
 5. जनपदीय आशा मेंटोरिंग ग्रुप के नामित सदस्य अथवा जनपद में कार्यरत किसी अन्य सहयोगी संस्था के प्रतिनिधि।
- व्यक्तिगत साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्न अन्तरव्यक्तिक एवं समूह सम्वाद, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर सामान्य प्रश्न हो सकते हैं। पूछे जाने वाले प्रश्न आशाओं को दिये गये अब तक के प्रशिक्षण विषयों पर आधारित होने चाहिये। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में आने वाली कठिनाईयों पर आधारित स्थिति रोल प्ले भी अभ्यर्थियों को दिये जा सकते हैं।

चयन हेतु अंक वितरण पद्धति-

1.	शैक्षिक योग्यता	उत्तीर्ण परीक्षायें	निर्धारित अंक
		हाईस्कूल	01 अंक
		इन्टरमीडिएट	02 अंक
		स्नातक एवं उच्चतम	03 अंक
2	कार्य उपलब्धियाँ		
	प्रसव	10 से 14 तक	01 अंक
		15 या अधिक	02 अंक
	नसबन्दी	03 से 05 तक	01 अंक
		05 से अधिक	02 अंक
	पूर्ण प्रतिरक्षण (ड्यू लिस्ट के अनुसार)	70-75 प्रतिशत	01 अंक
		100 प्रतिशत	02 अंक
3	वी0एच0आर0र0 रजिस्टर का रख-रखाव		02 अंक
4	साइकिल चलाने का कौशल		02 अंक
5	राष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान (जैसे क्षयरोग कार्यक्रम में डाट्स प्रोवाइडर, मोतियाबिन्द ऑपरेशन करवाया हो, मलेरिया नियंत्रण में योगदान)		01 अंक
6	कोई विशेष उपलब्धि जैसे कि प्राकृतिक आपदा, एपीडेमिक इत्यादि में स्वास्थ्य विभाग के कार्यों में विशेष सहयोग किया हो।		01 अंक
7	साक्षात्कार		05 अंक

- ❖ आशा के समस्त कार्य उपलब्धियों का आंकलन उसके निर्धारित कार्यक्षेत्र के आधार पर ही किया जायगा।
- ❖ कार्य उपलब्धियों का आंकलन हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 की उपलब्धियों को लिया जायेगा।
- ❖ पूर्ण प्रतिरक्षण की गणना हेतु 01 से 02 वर्ष के समस्त बच्चों को सम्मिलित किया जायेगा जिन्हें बी0सी0जी0, पोलियो एवं डी0पी0टी0 की तीन खुराकें तथा खसरे का टीका लग चुका हो।
- ❖ यदि किसी आशा के क्षेत्र की जनसंख्या 1500 से अधिक है तो कार्य मूल्यांकन के समय जननी सुरक्षा योजना एवं परिवार कल्याण की उपलब्धियों का आंकलन प्रति 1000 जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा।

उपरोक्त कार्ययोजना के सम्बन्ध में महानिदेशालय स्तर से संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण के निर्देशन में डा0 सपना दास, फोन नं0 0522-2258972 एवं राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, एन0आर0एच0एम0 से डा0 राजेश झा, महाप्रबंधक, कम्युनिटी प्रोसेस, फोन नं0 9450113467 से सम्पर्क किया जा सकता है।

भवदीय

(बी0एस0आर0डू0)
महानिदेशक,
परिवार कल्याण

पृ० संख्या: प०क०/०८-प्रशि०/आशा फैसीलि०/२०१३-१४/५६२२-१७३ तद्दिनांक

१८-९-०१३

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन उ०प्र०, लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, विशाल कॉम्पलेक्स, १९ ए विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
5. निदेशक, मातृ शिशु कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
6. आशा नोडल अधिकारी, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, उ०प्र०।
8. समस्त जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबंधकों को इस आशा के साथ कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में समुचित प्रचार-प्रसार कर आशाओं को अवगत कराया जाये।

BH
(बी०एस०अरीडी)
महानिदेशक,
परिवार कल्याण